

पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय जनपद चम्पावत
पत्रांक सी0ओ0(आपरेशन) यातायात/2022 दिनांक 4.8.2022
निरीक्षक यातायात/प्रभारी निरीक्षक/पंचेश्वर/चम्पावत टनकपुर/थाना
लोहाघाट/तामली/रीठा साहिब/पाटी /बनबसा जनपद चम्पावत।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र संख्या-डीजी-पांच-177/2008 दिनांक 5 मार्च 2022 के पृष्ठांकन संख्या वाचक-29/2021 दिनांक 9 मार्च 2022 के द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक चालान एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अन्तर्गत कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोटपा एक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक चालानी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

AB
पुलिस उपाधीक्षक
आपरेशन चम्पावत